

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21545/2024

लोकेश श्रीमाली पुत्र श्री सुभाष श्रीमाली, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी उस्ताबाड़ी के बाहर, रमन भवन के पास, बीकानेर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर।
- निदेशक, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं), स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रजत चौधरी  
प्रतिवादीगण के लिए : श्री मुकेश दवे, ए.जी.सी. के साथ  
श्री तनुज जैन

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

**20/01/2025**

- याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे तपेदिक स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्य करने के उसके अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार

करें, उसे बोनस अंक प्रदान करें, और तदनुसार उसके आधार पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करें।

2. सर्वप्रथम, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के कारणों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जिसका अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:-

“याचिकाकर्ता ने तीन अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं, जो कोविड अवधि के दौरान कुल 502 दिनों के अनुभव को दर्शाते हैं, जिसमें 07.09.2021 से 31.03.2022 तक 202 दिन और 24.08.2022 से 04.05.2023 तक 300 दिन शामिल हैं। परिणामस्वरूप, 15 बोनस अंकों का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र बताता है कि याचिकाकर्ता ने 10.03.2019 से 06.03.2021 तक टी.बी. एफ.पी. के पद पर काम किया। टी.बी.एच.वी. पद पर याचिकाकर्ता के कार्य को डी.ओ.टी.एस. प्राइवेट, निखल ऑनलाइन और नमूना संग्रह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे नर्सिंग अधिकारी की भूमिका के समकक्ष नहीं माना जाता है, और इसलिए, याचिकाकर्ता अनुभव के आधार पर बोनस अंकों के लिए पात्र नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 'राजेंद्र कुमार बेनीवाल बनाम राज्य' में, माननीय उच्च न्यायालय ने 'भर्ती नियम 1965' के नियम 19 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं, जो समकक्ष कार्य के आधार पर बोनस अंक प्रदान करने से संबंधित है। इसी प्रकार, डी.बी. रिट याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम राज्य में, माननीय न्यायालय ने राज्य के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि किसी अन्य पद पर कार्य करने पर अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता बोनस अंकों का लाभ पाने का हकदार नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता के अंक उसकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के अंकों से कम हैं, इसलिए याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया गया।”

---

3. जब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त कारणों से अवगत कराया गया—कि याचिकाकर्ता को कोविड काल में कार्य करने के लिए पहले ही 15 बोनस अंक दिए जा चुके हैं तो उनसे पूछा गया कि याचिकाकर्ता को समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक वरीयता क्यों दी जाए। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि याचिकाकर्ता ने पूर्व में तपेदिक स्वास्थ्य आगंतुक (‘टी.बी.एच.वी.’) के रूप में कार्य किया है और यह अनुभव नर्सिंग अधिकारी ग्रेड II के समकक्ष है, इसलिए इसे मान्यता दी जानी चाहिए; हालाँकि, याचिकाकर्ता को इसका लाभ देने से वंचित कर दिया गया है।
4. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि टी.बी.एच.वी. उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कार्य और कर्तव्यों की प्रकृति नर्सिंग अधिकारी ग्रेड II के कार्यों से पूरी तरह भिन्न है और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बल्कि, उनका तर्क है कि टी.बी.एच.वी. द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (‘एस.टी.एस.’) के समान है और इसलिए, वे एस.टी.एस. के पद के लिए अधिमान्य उपचार के पात्र हैं।
5. कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता, मेरे विचार में सही रूप में, इस न्यायालय की जयपुर स्थित समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 08.01.2016 को **सुरेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7515/2015** में दिए गए निर्णय पर आश्रय किया। जिसका प्रासंगिक अंश, उपयुक्त होने के कारण, यहाँ पुनरुत्पादित किया गया है:

“एसटीएस और नर्स ग्रेड II द्वारा किए जाने वाले तुलनात्मक कार्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न केवल प्रत्येक पद के लिए कार्य विशिष्ट और भिन्न है, बल्कि नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता भी उस कार्यक्रम के तहत भिन्न है जिसमें

याचिकाकर्ताओं को एसटीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि एसटीएस के पद पर नियुक्ति करते समय आवश्यक योग्यता टी.बी.एच.वी और एम.एस.डब्लू भी थी। ऐसा नहीं है कि सभी एसटीएस के पास जी.एन.एम की योग्यता है, लेकिन ऐसे उम्मीदवार भी हो सकते हैं जिनके पास टी.बी.एच.वी या एम.एस.डब्लू की योग्यता हो। दो पदों के कार्य के तुलनात्मक विवरण और उनमें अंतर के आलोक में, बोनस अंकों के लिए याचिकाकर्ताओं का दावा विचारणीय नहीं है। बोनस अंक प्रदान करना केवल तभी अनुमेय है जब किसी उम्मीदवार ने उस पद के समान कार्य का निर्वहन किया हो जिसके लिए आवेदन किया गया है। उस कार्यक्रम में जहाँ याचिकाकर्ताओं को STS के रूप में नियुक्त किया गया था, नर्स ग्रेड-II का पद भी विद्यमान था और नर्स ग्रेड-II के पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने समान कर्तव्यों का निर्वहन किया था। प्रतिवादीगण ने अनुभव के आधार पर बोनस अंक देते समय कोई भेदभाव नहीं किया है। ”

6. उपरोक्त के आलोक में, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि टी.बी.एच.वी. / एस.टी.एस. उम्मीदवार नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए अपने कार्य अनुभव के लाभ का दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्यों की प्रकृति विशिष्ट और भिन्न है।

7. मैं इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अपनाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि किसी भी उम्मीदवार को 'नर्सिंग ग्रेड-II' के पद के समकक्ष मानकर टी.बी.एच.वी. के रूप में कार्य करने के लिए कोई लाभ नहीं दिया गया है।

8. याचिका गुणदोष विहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

---

(अरुण मोंगा),जे

8-/जितेन्द्र//-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं: हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



**Tarun Mehra**  
**Advocate**